उत्तर प्रदेश वन निगम

कार्यालय महाप्रबन्धक (विपणन)

अरण्य विकास भवन, 21/475, इन्दिरानगर, लखनऊ 226016

पत्रांक-एम- 91 / ई-नीलाम सामान्य दिनाँक 23 अप्रैल 2019

सेवा में,

समस्त प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी,
उ0प्र0 वन निगम,
.....

विषयः- ई-नीलाम हेतु ई-भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

संदर्भः- प्रबन्ध निदेशक का पत्रांक-एम-769/नीलाम जनरल/शर्तें (ई-नीलाम) कार्यालय आदेश, दिनांक 23.04.2019 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया उपरोक्त कार्यालय आदेश का संदर्भ ग्रहण करें। ई-नीलाम हेतु ई-भुगतान की प्रक्रिया वर्तमान मं लखनऊ विक्रय प्रभाग में लागू है इस क्रम में प्रभाग वार ई-नीलाम हेतु ई-भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार लागू की जा रही है। इस कार्यालय में निम्नानुसार प्रशिक्षण तिथियाँ निर्धारित की जा रही है।

क्र0सं0	विक्रय प्रभाग का नाम	भुगतान प्रक्रिया लागू किये जाने की तिथि	प्रशिक्षण तिथि (मुख्यालय में)
1	गोण्डा/गोरखपुर	01.05.2019	22.04.2019 को प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, प्रभागीय लेखाकार/डिपो लेखाकार एवं कम्प्यूटर आपरेटर (प्रशिक्षण कार्य पूर्ण)
2	इटावा/झांसी	15.05.2019	03.05.2019 को प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, प्रभागीय लेखाकार/डिपो लेखाकार एवं कम्प्यूटर आपरेटर
3	गाजियाबाद/नजीबाबाद	25.05.2019	15.05.2019 को प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, प्रभागीय लेखाकार/डिपो लेखाकार एवं कम्प्यूटर आपरेटर
4	बहराइच/लखीमपुर	30.05.2019	15.05.2019 को प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, प्रभागीय लेखाकार/डिपो लेखाकार एवं कम्प्यूटर आपरेटर

पर्याप्त प्रचार-प्रसार के साथ उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

उक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किए जा रहें हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(अतुल जिन्दल)
महाप्रबन्धक (विपणन)

पंत्राक/ 91 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखत को उपरोक्तानुसार संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, (ईकोटूरिज्म को छोडकर)उ0प्र0 वन निगम।
3. मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ
4. आन्तरिक सम्परीक्षाधिकारी, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ
5. समस्त प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/लौगिंग अधिकारी/विपणन अधिकारी उ0प्र0 वन निगम।
6. विक्रय अधिकारी (सिस्टम) उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।

23/4

(अतुल जिन्दल)
महाप्रबन्धक (विपणन)

उत्तर प्रदेश वन निगम

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

अरण्य विकास भवन, 21/475, इन्दिरानगर, लखनऊ 226016
पत्रांक-एम- 769 /नीलाम जनरल/शर्तें (ई-नीलाम) दिनाँक 23 अप्रैल 2019

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक एम-6784/नीलाम जनरल/शर्तें (ई-नीलाम), दिनांक 14.11.2014 तथा पत्रांक एम-5084/ नीलाम जनरल/शर्तें (वन प्रमाणीकरण प्रकाष्ठ), दिनांक 23.09.2015 से ई-नीलाम हेतु शर्तें जारी की गयी थी। उ0प्र0 वन निगम के अन्तर्गत वर्तमान में प्रमाणित(एफ0एस0सी0)/अप्रमाणित सहित समस्त प्रकार के प्रकाष्ठ, खैर, बांस, जलौनी आदि के ई-नीलाम से विक्रय होने वाले प्रकाष्ठ एवं अन्य वनोपज की जमानत एवं विक्रय मूल्य के भुगतान हेतु क्रय किये गये प्रकाष्ठ/वनोपज के भुगतान हेतु ई-भुगतान की शर्तें/प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। ये शर्तें/प्रक्रिया ई-नीलाम से बिक्री हेतु लागू होंगी। ई-नीलाम के लिए पंजीकृत समस्त क्रेताओं को अपने लॉगिन आई0डी0 पर अपने बैंक खाते का विवरण आनलाइन अंकित करना होगा। इन शर्तों/प्रक्रिया के लागू होने की तिथि के पूर्व में इस सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देश/आदेश/प्रक्रिया को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। ये शर्तें/प्रक्रिया विभिन्न विक्रय प्रभागों में अलग-अलग निर्धारित तिथियों से लागू की जायेंगी जिसके लिए पृथक रूप से कार्यकारी आदेश निर्गत किया जायेगा।

1. सामान्य शर्तेः-

1.1 वन उपज का नीलाम सामान्यतया प्रकाष्ठ की लाट अधिकतम 15 घ0मी0 (एक ट्रक लोड) बनाकर गोल ठेके की पद्धति द्वारा ई-नीलाम से किया जायेगा। उपरोक्त सभी प्रकार के नीलामों में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता को वन निगम के ई-नीलाम प्रणाली में अपना नाम/फर्म को पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण शुल्क रू0. 30000 (रू0 तीस हजार मात्र) होगा, जो एक बार (One Time) होगा। इसकी वापसी (ब्याज रहित) तभी सम्भव होगी जब क्रेता उ0प्र0 वन निगम से व्यापार करना बन्द करने का आवेदन पंजीकरण के समय लगाये गये साक्ष्यो के साथ करेगा। पंजीकरण धनराशि के वापसी के समय क्रेता की आई0डी0 ब्लाक कर दी जायेगी। प्रमाणीकृत प्रकाष्ठ हेतु पंजीकृत क्रेता को अगामी वर्षो हेतु रू0. 5000.00 (रूपये पांच हजार मात्र) बिना वापसी (Non Refundable) जमा कर प्रत्येक वर्ष माह जनवरी में नवीनीकरण कराना होगा। 31 जनवरी तक नवीनीकरण न कराये जाने पर पंजीकरण ब्लाक कर दिया जायेगा। जो नवीनीकरण कराने पर खोला जायेगा। इसके लिये क्रेता वन निगम की वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in पर ई-नीलामी प्रक्रिया सम्बन्धी सूचनाओं को देख सकते हैं।

1.2 कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से आवेदक द्वारा किये गये पंजीकरण का अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीकरण का अनुमोदन कराने हेतु कम्प्यूटर सिस्टम में पंजीकरण के उपरान्त आवेदक द्वारा निकटस्थ प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी से पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, जमा किये गये पंजीकरण शुल्क की चालान रिसीट (उ0 प्र0 वन निगम कापी)/बैंक रिसीट एवं आवेदन पत्र (अपना फोटोग्राफ चिपकाते हुए) का सत्यापन कराते हुए उन्हे प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। जिसे प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी द्वारा अविलम्ब पंजीकरण के अनुमोदन हेतु सत्यापित कर मुख्यालय (लखनऊ) प्रेषित करेंगे, ताकि अनुमोदन की कार्यवाही पूर्ण हो सके। नान के0वाई0सी0 के कारण पंजीकरण आई0डी0 ब्लाक केता भी प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी उपरोक्तानुसार अभिलेखो का सत्यापन कराकर अपनी पंजीकरण आई0डी0 को पुनः चालू करवा सकते है। विशेष परिस्थितियों में प्रदेश के बाहर के केताओं एवं प्रदेश के भीतर के केताओ का पंजीकरण का अनुमोदन मुख्यालय से महाप्रबन्धक (विपणन) द्वारा निगम हित में किया जा सकता है।

1.3 लाट की बिक्री सामान्यतः उच्चतम बोली के आधार पर होगी, परन्तु वन निगम को यह अधिकार होगा कि उच्चतम अथवा किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे।

2. यद्यपि लाट में सम्मिलित प्रत्येक नग की नपत विक्रय सूची में सही अंकित की जाती है, तथापि केता को चाहिए कि बोली देने से पहले लाट को भली भाँति देख लें। यदि कोई केता विक्रय सूची में दर्ज वन उपज (जलौनी/जड़ को छोड़कर) की नपत में संदेह करता है और पुनः नपत करवाना चाहता है तो वह (केता) सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी को लिखित आवेदन पत्र देगा और साथ ही लाट के विक्रय मूल्य का एक प्रतिशत अथवा रू.500/–जो भी अधिक हो,जमा करेगा। यदि दोबारा की गई वास्तविक नपत एवं पूर्व अंकित नपत में दो प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है तो लाट की बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और लाट के सम्बन्ध में केता द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि ततसमय लागू राजकीय नियमों के अनुसार केता को वापस कर दी जायेगी। परन्तु उपरोक्त नपत प्रक्रिया में यदि अन्तर दो प्रतिशत या उससे कम पाया जाता है तो बिक्री वैध मानी जायेगी और केता द्वारा जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगी। जलौनी/जड़ की पुनः नपत नही होगी।

3. लाट की ई–नीलामी हो जाने के बाद प्रकाष्ठ/वनोपज के ग्रेड (गुण श्रेणी) के विषय में केता की कोई शिकायत नहीं सुनी जायेगी। केता वनोपज की भौतिक स्थिति मौके पर देख लेने के बाद ही बोली दें।

4. ई–नीलाम की अवधि, जमानत तथा जी0एस0टी0 (देयकर) की धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् हैः–

4.1 ई–नीलाम की अवधि प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक होगी परन्तु अपरान्ह 2.55 बजे के बाद से 3.00 बजे के मध्य किसी लाट पर बोली आती है तो उस लाट की बोली का समय अगले 5.00 मिनट तक बढ जायेगा यह प्रक्रिया इस

अवधि में बोली पुनः आने पर बढ़ती जायेगी, जब तक नीलाम समाप्त नही होगा परन्तु रात्रि 8.00 बजे के बाद कोई भी बोली स्वीकार नही की जायेगी। यदि केता चाहे तो किसी भी लाट पर आटो बिड लगा सकता है परन्तु नीलाम के बीच में अपरान्ह 2.55 बजे के बाद आटो बिड नही लगाई जा सकेगी।

4.2 निर्धारित समय पर जब ई-नीलामी समाप्त हो जायेगी तो तद्नुसार वेबसाइट पर प्रदर्शित लाट की उच्चतम बोली देने वाले केता को रू0. 25000.00(रूपये पचीस हजार मात्र) तक की बोली पर कुल बोली का 23.6 प्रतिशत जमानत और उससे अधिक बोली पर न्यूनतम रूपया 5900.00 (रूपये पांच हजार नौ सौ मात्र) या उच्चतम बोली का 11.8 प्रतिशत जमानत जो भी अधिक हो (सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी के पक्ष में) जमा करना होगा। अनुमोदन के उपरान्त क्रमशः 23.6 प्रतिशत, रू0 5900.00 एवं 11.8 प्रतिशत से क्रमशः 20 प्रतिशत, रू0 5000.00 तथा 10 प्रतिशत जमानत के मद में तथा शेष धनराशि जी0एस0टी0 के मद में समायोजित होगी। लाट निरस्त होने की दशा में पूर्ण धनराशि वापस कर दी जायेगी। लाट का विक्रय मूल्य न जमा होने की दशा में क्रमशः 20 प्रतिशत, रू0 5000.00 तथा 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के मद में जब्त की जायेगी। शेष धनराशि जी0एस0टी0 जमा की जायेगी। लाट के अनुमोदन की दशा में जमानत की धनराशि को विक्रय मूल्य में समायोजित किया जायेगा।

4.3 इस व्यवस्था में समस्त केतागण जो ई-नीलाम के माध्यम से लाटों को क्रय करते है। वे ई-पेमेंट/डेबिट कार्ड/केडिट कार्ड अथवा चालान/ एन0ई0एफ0टी/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि वन निगम के लिये नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जमा कर सकते हैं।

4.4 कृपया ध्यान दे कि इस व्यवस्था में केतागण केवल ई-नीलाम के माध्यम से क्रय की गयी लाट की धनराशि ही जमा करा सकेगें। जिसके लिए लाटवार चालान जनरेट हो सकेगा। किसी अन्य लाट का चालान जो ई-नीलाम के माध्यम से क्रय नही की गयी है, वो जनरेट नही हो सकेगा।

4.5 किसी एक ई-नीलाम में एक लाट अथवा एक से अधिक लाटों का चालान भी जनरेट हो सकेगा।

4.6 प्रत्येक चालान की एक यूनिक आई0डी0 (पहचान) होगी, जो उन्ही लाटों के लिए होगी, जो चालान पर प्रिंट होगी। अर्थात एक चालान से किसी भी बैंक में यूनिक आई0डी0 के माध्यम से धनराशि जमा की जा सकती है। जमा की जाने वाली धनराशि चालान में अंकित धनराशि से कम या अधिक नही होनी चाहिए तथा बैंकिंग चार्ज केता को स्वयं वहन करना होगा अन्यथा यह धनराशि अस्वीकार होकर केता के खाते मे वापस चली जाएगी। जिसके लिए केता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4.7 केता यह भी ध्यान दे कि चालान में अंकित यूनिक आई0डी0 (पहचान) संख्या बैंक खाता संख्या (एकाउन्ट नम्बर) नही है अतः इस यूनिक आई0डी0 (पहचान) संख्या के

सापेक्ष अन्य माध्यमों से धनराशि जमा करने का प्रयास न करें अन्यथा केता के द्वारा जमा की गयी धनराशि निर्धारित खाते में नही प्राप्त हो सकेगी। जिसके लिए केता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4.8 जमानत की धनराशि नीलाम की तिथि छोड़कर अगले 02 (दो) दिनों के भीतर सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी के पक्ष में निर्धारित प्रकियानुसार जमा की जायेगी। बैंक अवकाश अथवा बैंक बन्द होने के कारण ये अवधि सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से अवकाश अवधि दिवसों की संख्या के बराबर आगे बढायी जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में यह कार्य मुख्यालय से भी किया जा सकेगा। तिथि बढ़ाने की प्रक्रिया का प्रभाव पूरे प्रदेश के डिपुओं पर लागू होगा। उक्त निर्धारित अवधि में केता द्वारा जमानत की धनराशि न जमा करने के कारण जमानत अवधि समाप्त होने पर अगले सात दिन तक विलम्ब शुल्क के साथ जमा की जा सकेगी। विलम्ब शुल्क जमानत धनराशि का 5.9 (पाँच दशमलव नौ) प्रतिशत प्रति दिन निर्धारित है। जमानत की धनराशि जमा करने की निर्धारित अवधि (दो दिन एवं बैंक अवकाश/बंदी, यदि लागू हो) के समाप्त होने के पश्चात् विलम्ब शुल्क लागू होगा। विलम्ब शुल्क जनरेट किये जाने वाले चालान में स्वतः प्रदर्शित हो जायेगा। विलम्ब शुल्क की सात दिन की अवधि में कोई बैंक अवकाश अथवा बैंकबंदी के लिए कोई छूट अथवा कोई अतिरिक्त अवधि प्रदान नही की जायेगी। उक्त अवधि तक यदि केता द्वारा जमानत एवं देयकर नही जमा किया जायेगा तो उसकी बोली को अस्वीकार मानते हुए उसका पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा तथा पंजीकरण आई0डी0 ब्लाक की जायेगी एवं केता को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाला जा सकता है। विलम्ब शुल्क से प्राप्त धनराशि पर देयकर सम्बन्धित कर लेने वाले विभाग को नियमानुसार जमा किये जायेंगे।

4.9 केता द्वारा अपने लॉगिन आई0डी0 पर अपने बैंक खातों के अंकित विवरण के सत्यापन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी के मोबाइल नंम्बर पर ओ0टी0पी0 आधारित व्यवस्था लागू होगी। एक बार सत्यापन होने की दशा में भविष्य के लिए केता के बैंक खातो का विवरण सत्यापित माना जायेगा।

4.10 ई-नीलाम में लाट निरस्त होने की दशा में जमानत की धनराशि तद्नुसार केता को आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी, उ0प्र0 वन निगम, द्वारा केता के शर्त संख्या-4.9 के अनुसार सत्यापित खाते में वापस किया जायेगा। तात्पर्य यह है कि ई-नीलाम में निरस्त की गयी लाट की जमानत की धनराशि अधिकतम 15 (पन्द्रह) कार्य दिवस के भीतर वापस कर दी जायेगी। वापस की गयी धनराशि के चेक/ आर0टी0जी0एस0/ एन0ई0एफ0टी0 का विवरण ई-नीलाम के साफ्टवेयर में प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी द्वारा भर दिया जायेगा।

4.11 उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रक्रिया से जमा की गई कोई भी धनराशि स्वीकार नही होगी तथा उसके लिए केता स्वयं उत्तरदायी होगें तथा उनकी वित्तीय क्षति के लिए वन निगम उत्तरदायी नही होगा।

4.12 यदि केता के भुगतान निर्देश/चालान की सीमा समाप्त हो गयी है तो भुगतान निर्देश/चालान को डिलीट करके पुनः भुगतान निर्देश/चलाना उत्पन्न करके नए भुगतान निर्देश/चालान के आधार पर धनराशि जमा करें।

4.13 जिस दिन चालान को आनलाइन जनरेट किया जायेगा उसी दिन भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में भुगतान किये जाने वाली धनराशि चालान में दर्शित धनराशि से अधिक या कम न होने पायें। अन्यथा की दशा में धनराशि केता के खाते में स्वतः वापस आ जायेगी। पुनः केता को अगले दिवस में चालान जनरेट करके तद्नुसार भुगतान करना होगा। जिसके लिए केता स्वयं उत्तरदायी होगें। तात्पर्य यह है कि जिस दिन चालान जनरेट होगा धनराशि उसी दिन जमा होगी।

5. जमानत जमा होने के पश्चात अनुमोदनोपरान्त लाट के विक्रय मूल्य जमा करने की प्रक्रिया निम्नवत् हैः-

5.1 लाट के विक्रय की स्वीकृति/अनुमोदन होने पर देय धनराशि (विक्रय मूल्य, एफ0एस0सी0 प्रमाणित प्रकाष्ठ हेतु 8.50 प्रतिशत (साढे आठ प्रतिशत प्रमाणीकरण प्रिमियम) आयकर जी0एस0टी0, मण्डी शुल्क, अभिवहन शुल्क एवं अन्य देय कर/शुल्क) देय होगा।

5.2 इस व्यवस्था में समस्त केतागण जो ई-नीलाम के माध्यम से लाटों को क्रय करते है। वे ई-पेमेंट/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा चालान/ एन0ई0एफ0टी/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि वन निगम के लिये नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जमा कर सकते हैं।

5.3 लाट के अनुमोदन की सूचना हाथ से अथवा रजिस्ट्री द्वारा डिपो स्तर से प्रेषित की जायेगी। अनुमोदन के प्रेषण की तिथि का अंकन ई-नीलाम के साफ्टवेयर पर डिपों अधिकारी द्वारा किया जायेगा। अनुमोदन सूचना प्रेषण तिथि के अगले 24 दिनों के भीतर एवं माल निकासी के पूर्व विक्रय मूल्य/प्रमाणित प्रकाष्ठ का प्रीमियम (प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम के पक्ष में) एवं कर/शुल्क आदि का भुगतान (सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी के पक्ष में) ई-पेमेन्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत ई-नीलाम के साफ्टवेयर में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केता को करना होगा। अभिवहन शुल्क अलग से माल निकासी के समय जमा किया जायेगा।

5.4 लाट का अनुमोदन पत्र जारी होने के बाद लाट केता के डैशबोर्ड में लंबित भुगतान सेक्शन में दिखाई देने लगेगी। केता उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत लाट की शेष धनराशि जमा कर सकते हैं।

5.5 केता कृपया ध्यान दे कि इस व्यवस्था में केतागण केवल ई-नीलाम के माध्यम से क्रय की गयी लाट की विक्रय मूल्य की धनराशि ही जमा कर सकेगें। जिसके लिए लाटवार अथवा एक नीलाम में एक से अधिक क्रय की गयी लाटों का चालान जनरेट हो सकेगा।

किसी अन्य लाट का चालान जो ई-नीलाम के माध्यम से क्रय नही की गयी है, वो जनरेट नही हो सकेगा।

5.6 प्रत्येक चालान की एक यूनिक आई0डी0 (पहचान) होगी, जो उन्ही लाटों के लिए होगी, जो चालान पर प्रिन्ट होगी अर्थात एक चालान से किसी भी बैंक में यूनिक आई0डी0 के माध्यम से धनराशि जमा की जा सकती है। जमा की जाने वाली धनराशि चालान में अंकित धनराशि से कम या अधिक नही होनी चाहिए अन्यथा यह धनराशि अस्वीकार होकर क्रेता के खाते में वापस चली जायेगी। जिसके लिए क्रेता स्वंय उत्तरदायी होगा।

5.7 क्रेता यह भी ध्यान दे कि चालान में अंकित यूनिक आई0डी0 (पहचान) संख्या बैंक खाता संख्या (एकाउन्ट नम्बर) नही है अतः इस यूनिक आई0डी0 (पहचान) संख्या के सापेक्ष अन्य माध्यमों से धनराशि जमा करने का प्रयास न करें अन्यथा क्रेता के द्वारा जमा की गयी धनराशि निर्धारित खाते में नही प्राप्त हो सकेगी। जिसके लिए क्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5.8 चालान माध्यम में क्रेता को शेष धनराशि दो भागों में जमा करनी होगी। दोनों भागों का धनराशि एवं खाते का विवरण भुगतान निर्देश/चालान में प्रर्दशित होगा। यदि क्रेता द्वारा भुगतान करते समय किसी कारणवश धनराशि गलत हो जाती हैं तो जमा की गयी धनराशि स्वचलित तरीकें से क्रेता के खाते में वापस हो जायेगीं। इस दशा में क्रेता को पुनः लाटवार भुगतान निर्देश/चालान उत्पन्न करके शेष धनराशि जमा करनी होगी। जिसके लिए क्रेता स्वयं उत्तरदायी होगें।

5.9 चालान माध्यम में जो धनराशि भुगतान निर्देश/चालान में प्रदर्शित हो रही हैं वही धनराशि निर्धारित अवधि के दौरान सम्बन्धित खाते में यूनिक आई0डी0 के माध्यम से ही जमा करें।

5.10 विक्रय मूल्य की धनराशि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत भुगतान की जानी होती है। चूंकि यह अवधि निर्धारित है अतः शेष विक्रय मूल्य अनुमोदन प्रेषण तिथि के 24 दिन (प्रेषण तिथि को छोडकर) के अन्दर ही क्रेता को भुगतान करना होगा इस अवधि में बैंक अवकाश/बंदी के कारण भुगतान हेतु अतिरिक्त अवधि देय नही होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात किये जाने वाले भुगतान पर स्वतः विलम्ब शुल्क एवं देयकर चालान में अंकित हो जायेगें।

5.11 यदि क्रेता के भुगतान निर्देश/चालान की सीमा समाप्त हो गयी है तो भुगतान निर्देश/चालान को डिलीट करके पुनः भुगतान निर्देश/चलाना उत्पन्न करके नए भुगतान निर्देश/चालान के आधार पर धनराशि जमा करें।

5.12 जिस दिन चालान को आनलाइन जनरेट किया जायेगा उसी दिन भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में भुगतान किये जाने वाली धनराशि चालान में दर्शित धनराशि से अधिक या कम न होने पायें। अन्यथा कि दशा में धनराशि क्रेता के खाते में स्वतः वापस आ जायेगी। पुनः क्रेता को अगले दिवस में चालान जनरेट करके

तद्नुसार भुगतान करना होगा। तात्पर्य यह है कि जिस दिन चालान जनरेट होगा धनराशि उसी दिन जमा होगी।

5.13 प्रमाणीकृत केता, प्रमाणीकृत प्रकाष्ठ के क्रय हेतु, भुगतान के समय प्रमाणीकरण प्रीमियम हेतु तद्नुसार चालान जनरेट कर सकेगें।

5.14 उपरोक्त निर्धारित प्रकिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकिया से जमा की गयी कोई भी धनराशि स्वीकार नही होगी तथा उसके लिए केता स्वयं उत्तरदायी होगें तथा उनकी वित्तीय क्षति के लिए वन निगम उत्तरदायी नही होगा।

6. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य नियम, कर अथवा संशोधित कर होने की दशा में केता को तदनुसार मान्य होगें।

केता द्वारा कर में छूट सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हे उसी स्थान की निकासी दी जायेगी,जिस स्थान का उन्होने अपना व्यवसाय पंजीकृत करवाया है।

केता को कर/शुल्क सम्बन्धी कोई भी छूट तभी प्रदान की जायेगी जब केता द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय के सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा छूट प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। अन्य जिले अथवा स्थानों के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र पर कोई छूट देय नही होगी।

7. सभी प्रकार के लाटों की ई-नीलाम द्वारा बिक्री के मामलों में अनुमोदन की अधिकतम अवधि नीलाम की तिथि को छोड़ कर 25 (पच्चीस) दिन तक होगी। यदि नीलाम की तिथि को छोड़कर 25 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है और केता को बिक्री के अनुमोदन की सूचना हाथ/ पंजीकृत डाक से नही भेजी जाती है तो केता लाट को क्रय करने से इंकार कर सकता है और ऐसी स्थिति में केता के माँगने पर उस लाट की जमानत उसको वापस की जा सकती है। केता अपनी दी गयी बोलियों के क्रम में अनुमोदित/निरस्त लाटों के सम्बन्ध में जानकारी सम्बन्धित कार्यालयों से स्वयं अथवा ई-नीलाम के साफ्टवेयर के अपने लॉगिन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

8. भुगतान हेतु उपरोक्त ई-पेमेंट प्रकिया के अन्तर्गत अनुमोदन सूचना प्रेषित होने के 10 दिन के अन्दर विक्रय मूल्य के भुगतान पर छूट की व्यवस्थाः-

8.1 यदि केता अनुमोदन सूचना प्रेषित होने के 10 दिन के अन्दर (प्रेषण का दिन छोड़कर) कुल भुगतान उपरोक्तानुसार जमा करता है तो उसे लाट के विक्रय मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत छूट दी जायेगी।

8.2 कोमल काष्ठ की निम्नलिखित प्रजातियों के "बी" ग्रेड में उक्त स्थिति में 03 (तीन)प्रतिशत की छूट दी जायेगी-

1.पौपलर, 2. सेमल 3. गुटेल 4. पूला 5. कंजू 6. झींगन 7.एलन्थस/अर्रु 8. हल्दू 9. फल्दू 10. बौरंग 11. गूलर 12. खरपट 13.गोजीना14. पेपर मलबरी 15. ढाक 16 तुन 17. मलबरी 18. सिरस 19. बहेड़ा 20. बरगद 21. बाकली 22. सलई ।

8.3 छूट हेतु उपरोक्त निर्धारित अवधि में बैंक अवकाश/बैंक बंदी के कारण भुगतान हेतु कोई भी अतिरिक्त अवधि देय नही होगी। केता को छूट लेने के लिए उपरोक्तानुसार 10 दिन के अन्दर ही समस्त देय धनराशि जमा करनी होगी।

9. शर्त संख्या 05 में उल्लिखित प्रकिया एवं धनराशि जमा हेतु निर्धारित अवधि 24 (चौबिस दिन) के अन्दर यदि केता देय धनराशि का भुगतान नही करता है, तो उसे अगले 14 (चौदह) दिनों तक प्रत्येक दिन की देरी के लिए देय विक्रय मूल्य की धनराशि पर 0.25% प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क एवं देय जी0एस0टी0 देना होगा। यदि विलम्ब शुल्क एवं देय जी0एस0टी0 की धनराशि 14 (चौदह) दिनों की अवधि के बाद भी केता देय धनराशि का भुगतान नही करता है तो उसकी जमानत एवं जी0एस0टी0 की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और लाट का नीलाम स्वतः निरस्त माना जायेगा।

10. केता को अनुमोदन सूचना हाथ/पंजीकृत पत्र द्वारा प्रेषित करने की तिथि (प्रेषण की तिथि को छोड़कर) से 45 दिनों के अन्दर डिपो से लाट की निकासी लेनी होगी। यदि केता किसी कारणवश उक्त अवधि में डिपो से माल की पूर्ण/आंशिक निकासी नही कर पाता है तो उक्त दिनों के बाद 30 दिनों तक **प्लाट रेंट व जी0एस0टी0** के साथ निकासी की अनुमति प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। इन 30 दिनों तक निकासी के लिए केता द्वारा 15 दिन के विलम्ब के लिये डिपो में पड़े अवशेष मात्रा के मूल्य का 0.25% प्रतिशत प्रति दिन तथा शेष 15 दिनों हेतु 0.50% प्रतिशत प्रति दिन की दर से प्लाट रेंट एवं तद्नुसार जी0एस0टी0 देय होगा। उक्त 30 दिनों में यदि केता द्वारा निकासी नहीं ली जाती है तो अगले 30 दिनों के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक माल की निकासी हेतु प्लाट रेंट 0.50% प्रतिशत प्रतिदिन के दर पर एवं तद्नुसार देय जी0एस0टी0 के साथ अनुमति प्रदान कर सकते हैं। अगर उपरोक्त अवधि में भी केता माल की निकासी नही ले पाता है, तो केता के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में प्लाट रेंट एवं नियमानुसार देय जी0एस0टी0 सहित अवधि विस्तार हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में –

10.1 केता द्वारा उस लाट के लिये जमा की गयी धनराशि वन निगम के पक्ष में स्वतः जब्त मानी जायेगी।

10.2 डिपो में रखी हुयी लाट की वन उपज पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा जिसे निगम केता को बिना सूचना दिये हुए चाहे नीलाम द्वारा या अन्य माध्यम से निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इसके लिये केता किसी प्रकार के मुआवजे आदि का हकदार नही होगा।

11. उपरोक्त नियमों में निर्दिष्ट अवधि के अनुसार प्लाट रेंट की धनराशि केता से नकद अधिकतम रू0. 10000.00 (रूपये दस हजार मात्र) अथवा प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम के पक्ष में बैंक डाफ्ट के माध्यम से नियमानुसार वसूल की जायेगी।

12. भुगतान के सम्बन्ध में डिपो अधिकारी अथवा डिपो लेखाकार या दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहर लगी हुई रसीद ही वैध मानी जायेगी।

13. केता को डिपो से निकासी सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच के समय में ही दी जायेगी। यह भी प्रतिबन्धित होगा कि ई0वे0 बिल/डिलिवरी चालान भी इसी अवधि में जारी हो जाय अन्यथा

ई0वे0बिल/डिलिवरी चालान सूर्यास्त के बाद जारी होने पर अभिवहन शुल्क वन विभाग के नियमो के अन्तर्गत लिया जायेगा।

14. **विशेष शर्तेः-**

14.1 **प्रकाष्ठ-** लाट के प्रत्येक नग की नपत उस नग पर अंकित रहेगी। सभी प्रकार के लाट आयतन के आधार पर बेचे जायेंगें न कि भार के आधार पर । सिवाय कोयला, असना-छाल एवं बुरादे की लाटों के।

15. **बांस,जड़,जलौनी एवं फर्राः-** बांस की नीलामी बांस किस्म/श्रेणी के अनुसार नगों के आधार पर की जायेगी।

जड़,जलौनी व आरा मशीनों से निकले हुए फर्रे का विक्रय सामान्यतः लगभग चट्टा (7मी.x 3मी.x 1मी.) बनाकर चट्टा आयतन में किया जायेगा। केता को चाहिए कि चट्टे भली भाँति देखकर ही बोली दें।

16. (a)- **कोरैया,कोयला,असना छाल एवं बुरादाः-** कोरैया की लाट नग एवं अनुमानित वजन के अनुसार तथा कोयला, असना छाल एवं बुरादा की लाट अनुमानित वजन के अनुसार बनायी जायेंगी। इनकी बोली प्रति कुन्तल में ही ली जायेगी तथा इनकी जमानत की धनराशि अनुमानित वजन के अनुसार ही जमा करनी होगी।

16.(b)- बिके हुए लाट की अनुमोदन सूचना लाट में अंकित अनुमानित वजन के आधार पर ही जारी किया जायेगा और इसके भुगतान के लिये सामान्य शर्तें लागू होंगी।

16.(c)- लाट की निकासी के लिए भी सामान्य शर्तें लागू होंगी। तौल से नीलाम किये जाने के मामलों में भरे हुए ट्रक, निगम द्वारा मान्य धर्मकांटे पर निगम के अधिकृत कर्मचारी के सामने तौला जायेगा और तौल के पर्चे पर अधिकृत कर्मचारी व केता दोनों हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार के प्राप्त माल के पर्चे के अनुसार ही अन्तिम भुगतान बिल बनाया जायेगा तथा यदि बिल में दर्शित देय भुगतान पूर्व सूचना से अधिक हुआ तो केता को तुरन्त अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना होगा और तभी केता को ट्रक धर्मकाटे से ले जाने की अनुमति दी जायेगी। यदि पहले भुगतान अधिक हो गया तो केता को नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि वापस (रिफण्ड) की जायेगी।

16.(d)- निकासी के लिये लाये खाली ट्रक का भार केता को निगम द्वारा मान्य धर्मकांटे पर निगम के अधिकृत कर्मचारी के सम्मुख करवाना होगा। यदि समीप में धर्मकांटा न होने से खाली ट्रक का भार न करवाया जा सका तो ट्रक रजिस्ट्रेशन किताब में लिखा हुआ ट्रक का भार माना जायेगा।

17. **शून्यकालः-** उ0प्र0 वन निगम के डिपुओं से बिक्री किये गये वनोपज की निकासी लेने में अपरिहार्य परिस्थिति में हुए किसी प्रकार के व्यवधान जिसमें क्रेता उत्तरदायी न हो की अवधि को शून्य काल घोषित करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम को होगा।

18. उ.प्र. वन निगम में नीलाम में भाग लेने वाले क्रेताओं/फर्म को निम्न परिस्थितियों में काली सूची में दर्ज करते हुए पंजीकरण निरस्त कर पंजीकरण/प्रवेश शुल्क जब्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा परिस्थिति अनुसार क्रेता/फर्म को वन निगम के नीलामों में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

18.(a)- नीलाम में व्यवधान उत्पन्न करने तथा अन्य क्रेताओं को नीलाम में बोली देने से रोकने पर ।

18.(b)- डिपो में किसी समय अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही कर उ0प्र0 वन निगम को क्षति पहुँचाने पर ।

19. वन निगम से क्रय कि गयी लाट को पुनः बिक्री प्रथम क्रेता द्वारा वन निगम के डिपो में नही की जा सकेगी। वन निगम वास्तविक क्रेता जिसके नाम बिक्री अनुमोदित की गई होगी, को ही निकासी की अनुमति प्रदान करेगा।

20. ई-नीलाम में क्रेता की एक डिपो में अधिक जमा धनराशि दूसरे डिपो में क्रय की गई लाट के विरूद्ध समायोजित नही किया जायेगा।

21. एक क्रेता की वन निगम में जमा धनराशि दूसरे क्रेता के नाम किसी भी दशा में हस्तान्तरित नही की जायेगी एवं क्रेता द्वारा एक लाट में अधिक जमा धनराशि को अपने दूसरे लाट के विक्रय मूल्य के विरूद्ध समायोजन भी नही कराया जा सकेगा।

22. विषम परिस्थितियों में डिपो अधिकारी प्राधिकृत होगा कि वन निगम के किसी अन्य डिपो (उसी विक्रय प्रभाग के निकटवर्ती डिपो) से आंशिक रूप से भरी हुई ट्रक/ट्रैक्टर आदि को लिखित अनुमति के पश्चात ही डिपो में प्रवेश दे सकता है। वन निगम के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से क्रय किये गये आंशिक प्रकाष्ठ भरे हुए ट्रक/ट्रैक्टर आदि को डिपो में प्रवेश नही करने दिया जायेगा। सामान्यतया क्रेता द्वारा लाये गये खाली ढुलान वाहनो को ही निकासी हेतु डिपो में प्रवेश दिया जायेगा।

23. इन शर्तों के कियान्वयन सम्बन्धी विवादों में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, आर्बिट्रेटर होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी न्यायियक विवाद के लिए क्षेत्राधिकार सम्बन्धित विक्रय प्रभाग का कार्यक्षेत्र होगा।

24. उक्त सम्बन्धी किसी भी नियम/शर्त को प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 वन निगम द्वारा आवश्यक्तानुसार संशोधित, अतिक्रमित या निष्प्रभावी किया जा सकता है।

(बी0के0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 वन निगम,
लखनऊ

पत्रांक एम-769 /तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

1. समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, (ईकोटूरिज्म को छोडकर)उ0प्र0 वन निगम।
3. मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ
4. आन्तरिक सम्परीक्षाधिकारी, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ
5. समस्त प्रभागीय विक्रय/लौगिंग प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी/लौगिंग अधिकारी/विपणन अधिकारी उ0प्र0 वन निगम।
6. विक्रय अधिकारी (सिस्टम) उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।

(बी0के0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 वन निगम,
लखनऊ